न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-45/2021/भीलवाड़ा

श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि शम्भूलाल जाति पाराशर उम्र बालीग निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज0)

-अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

-रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 140/ 2020 आवंटन निरस्तीकरण निर्णय दिनांक 15.03.2021

उपस्थित अभि0:-

1. अपीलांट अभि0- श्री वैभव पारीक
2. राजकीय अभि0- श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः-31.10.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार माण्डलगढ़ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शामथला के खसरा नम्बर 267/80 रकबा 2 बीघा भूमि जो कि आवंटन कमिटी द्वारा संतोषदेवी पत्नि शंम्भूलाल पारासर निवासी सरथला को दिनांक 27.07.2002 को आवंटित की गई थी। संतोषदेवी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा उसका मौके पर कोई कब्जा भी नहीं है। अतः यह भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद प्रकरण संख्या 140/2020 दर्ज कर बाद सुनवाई तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आवंटन शर्तों की पालना न करने से एवं कब्जा मौके पर नहीं होने से संतोषदेवी को आवंटित भूमि कब्जे सरकार में लेकर भूमि को बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 15.03.2021 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है–

1. अपीलांट को भूमि का कब्जा सौंपा गया था।

2. भूमि गैर खातेदारी में अपीलांट के नाम दर्ज थी तथा खातेदारी प्राप्त करने के लिए विवाद सहायक कलक्टर माण्डलगढ़ के यहां प्रस्तुत किया था। जिसे खारिज कर दिया गया। मगर उसकी अपील आरएए न्यायालय भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत की गई। जहां यह विचाराधीन है।

3. केवल पटवारी हल्का के एकपक्षीय मौकापर्चा के आधार पर आवंटन निरस्त करने बाबत कार्यवाही की गई है। जो उचित नहीं है। अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा जिरह करने बाबत भी कोई अवसर नहीं दिया गया है।

4. आवंटित भूमि के चारों ओर पत्थर का कोट लगाकर सीमाबंदी की गई।

5. आवंटी को खातेदारी स्वतः मिल चुकी है तथा 20 से 25 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं है। अपील स्वीकार किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, अभिभाषक अपीलांट के अनुसार दाखी को ग्राम शामथला में खसरा नम्बर 267/80 में 2 बीघा भूमि आवंटित किया जाकर दर्ज किया गया था। आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं करने से तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा धारा 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई उनके द्वारा दिनांक 15.03.2021 को आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जो मुख्य रूप से पटवारी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। पटवारी रिपोर्ट साइक्लोस्टाइल फोर्मेट में थी आवंटित भूमि के चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई है। आवंटन सिर्फ फ्रॉड तरीके से या षडयंत्र से प्राप्त किया हो तो निरस्त किया जा सकता है, अन्य तरीके से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है–

1. 2016 आरबीजे पेज 102
2. 2016 पार्ट–1 आरआरटी पेज 559

आवंटन के तीन वर्ष बाद स्वतः ही खातेदारी अधिकार मिल जाते है। आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

1. 2009 पार्ट–1 आरआरटी 453

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested

2. 2006 पार्ट–1 डी0एन0जे0(राजस्थान हाईकोर्ट) पेज 572,

3. 2010 आरबीजे पेज 157

4. 2011 पार्ट–2 आरआरटी पेज 1144,

जब तक फ्रॉड या मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं हो तब तक नियम 14(4) के तहत कार्यवाही संभव नहीं है तथा आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

1. 2017(2) आरआरटी पेज 878

2. 2016 पार्ट–2 आरआरटी पेज 884(हाईकोर्ट)

बहुत वर्षों उपरांत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीमकोर्ट रीट पिटीशन(सी) 03/2020– इसके अनुसार लॉकडाउन अवधि में दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक मियाद अवधि से छूट प्रदान की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश उचित और न्यायसंगत है। अपील खारिज की जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2021 का है। सुप्रिम कोर्ट सुमोटो प्रकरण सुप्रीमकोर्ट रीट पिटीशन(सी) 03/2020 में दिये गये निर्देश के अनुसार मियाद अवधि की गणना दिनांक 28.02.2022 के बाद की जानी है। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 27.07.2021 को न्यायालय के रीडर को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। दिनांक 27.07.2002 को उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा संतोषदेवी पत्नि शंम्भूलाल पाराशर ग्राम सरथला को ग्राम शामथला में खसरा नम्बर 267/80 में 2 बीघा भूमि सशर्त आवंटित की गई। आवंटन की मुख्य शर्तों में यह अंकित है कि 10 वर्षों के बाद आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जायेगें तथा यदि उसने आवंटन शर्तों की पालना की हो तो प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत काश्त करना अनिवार्य होगा तथा अगले वर्ष शेष भूमि पर भी काश्त करना अनिवार्यता होगी।

जमाबंदी ग्राम शामथला संवत 2074–77 खाता संख्या 117 नया के खसरा नम्बर 267/80 रकबा 2 बीघा भूमि अपीलांट संतोषदेवी पत्नि शंम्भूलाल पाराशर के नाम संवत 2059 से गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। साथ ही गिरदावरी संवत 2075 ग्राम शामथला के अनुसार उक्त खसरा नम्बर में अपीलांट द्वारा कोई भी फसल काश्त नहीं की है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा भी आवंटन शर्तों की पालना न करने एवं कब्जाकाश्त न होने की वजह से आवंटी के आवंटन को खारिज किया गया था। आवंटी अपीलांट को भूमि काश्त करने के उपयोग हेतु दी गई थी। मगर उसके द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त किया जाना नहीं पाया जाता है और आवंटन आदेश में आवंटि[illegible] बाबत सूचना से निर्देशित किया गया था। अपीलांट को यह चाहिए था कि अपील के साथ कब्जेकाश्त बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता जिससे आवंटित शर्तों की पालना करना प्रदर्शित होता हों। मगर उसके द्वारा यह नहीं किया गया है। संवत 2074–77 के बीच भूमि गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:51 IST
Reason: Self Attested

हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, क्योंकि अपीलांट का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। अपील द्वारा अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा अन्तर्गत प्रकरण संख्या 140/2020 (14(4) कृषि भूमि आवंटन निरस्तीकरण बाबत प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 15.03.2021 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested